शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 13-01-2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–499/2025–160/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12859/2025 श्रीमती स्वाती नुपुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–18.08.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...***In such view of the matter, it is expected that the Authorities must consider the representation of the petitioner with regard to allocation of Blocks within the District and accordingly, necessary order is required to be issued for appropriate posting....."***

3. उक्त पारित न्यायादेश के क्रम में वादी द्वारा विभाग को अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से श्रीमती नुपुर द्वारा पटना अरबन प्रखण्ड के किसी विद्यालय में पदस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में वादी के प्रखण्ड आवंटन से संबंधित जाँच प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर से करवाई गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–25/2024 में श्रीमती नुपुर द्वारा प्रधान शिक्षक के पद हेतु आवेदन समर्पित किया गया। उक्त परीक्षा में श्रीमती नुपुर सामान्य महिला की श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त करते हुए वरीयता क्रमांक–7105 प्राप्त की।

4. अंकनीय है कि विभागीय ज्ञापांक–896 दिनांक–26.03.2025 द्वारा गठित समिति की दिनांक–01.07.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभागीय दिशा–निर्देश के अनुरूप ***Merit-Cum-Choice*** के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 35334 अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1837 दिनांक–01.07.2025 द्वारा जिला आवंटित किया गया। उक्त के आधार पर समान्य महिला वर्ग श्रेणी में वरीयता क्रमांक–9095 तक के अभ्यर्थी को पटना जिला आवंटित हुआ। चूंकि श्रीमती नुपुर का वरीयता क्रमांक–7105 है, तदनुसार उन्हें पटना जिला आवंटित हुआ।

5. तदोपरांत उक्त अभ्यर्थियों से आवंटित जिलान्तर्गत पदस्थापन हेतु तीन–तीन प्रखण्ड के विकल्प की मांग की गई एवं उक्त समिति की दिनांक–12.07.2025 को सम्पन्न बैठक में कुल 35333 सफल अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1934 दिनांक–14.07.2025 को प्रखण्ड/विद्यालय आवंटित किया गया। अंकनीय है कि श्रीमती नुपुर (वरीयता क्रमांक–7105) द्वारा पटना जिलान्तर्गत तीन प्रखण्ड 1. पटना सदर अरबन 2. सम्पतचक एवं 3. फुलवारीशरीफ का विकल्प दिया गया। उक्त प्रखण्ड में सामान्य महिला वर्ग श्रेणी में वरीयता क्रमांक का कट–ऑफ क्रमशः 1802, 4240 एवं 3683 गया। चूंकि श्रीमती नुपुर

उक्त वरीयता क्रमांक कट–ऑफ से बाहर थी, जिस कारण श्रीमती नुपुर को उक्त प्रखण्ड आवंटित न होकर पालीगंज प्रखण्ड आवंटित हुआ।

अतएव उक्त अभिमत के साथ याचिकाकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07 / मु0–01–499 / 2025....160....पटना, दिनांक....13–01–2026

प्रतिलिपिः– Smt. Swati Nupur, Wife of Sri Ashish Kumar, Resident of Rental Flat No.- 93, Kankarbagh, P.O.- Lohiyanagar, P.S.- Kankarbagh, District- Patna.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07 / मु0–01–499 / 2025....160....पटना, दिनांक....13–01–2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा